उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-07/272/एक-1-2016-1(39)/2015
लखनऊ: दिनॉक: 02 मार्च, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1951) की धारा 117 की उपधारा (6) के साथ सपठित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा 231 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके एवं शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनॉक 19.12.2008 में दिये गये निर्देशों/शर्तो के अधीन एवं इस सीमा तक और सरकारी आदेश संख्या-68/तीन-2(6)/1979-राजस्व-1, दिनॉक 01 जुलाई, 1983 का आंशिक उपान्तर करके श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो कि पूर्व में आदेश संख्या-68/3-2(6)/1979-रा0-1, दिनॉक 05 सितम्बर, 1986 द्वारा यथा संशोधित उक्त आदेश द्वारा इस अनुसूची के स्तम्भ-5 एवं 6 में उल्लिखित भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज है, का पुनर्ग्रहण/हस्तान्तरण अनुसूची के उपरान्त अंकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन लोहिया पर्यावरणीय उद्यान/पार्क की स्थापना हेतु उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	खसरा/ गाटा नं0	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जौनपुर	सदर	हवेली	उमरपुर हरिबन्धनपुर	525 मि.	0.076	उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर लोहिया पर्यावरणीय उद्यान/पार्क की स्थापना हेतु
2					522	0.146	
3					521	0.218	
4					527	0.138	
5					526	0.271	
6					520	0.162	
7					519	0.073	
8					508 मि.	0.033	
9					509 मि.	0.040	

shasnadesh.up.nic.in

10					537 मि.	0.010	
11					579 मि.	0.010	
12					541	0.182	
13					540	0.138	
14					542 मि.	0.130	
15					528 मि.	0.015	
16					529 मि.	0.010	
17					530 मि.	0.080	
18					544 मि.	0.061	
19					545 मि.	0.024	
20					546	0.057	
21					547/1	0.040	
22					538 मि.	0.023	
				कुल योग	कुल 22 गाटा	1.937 हे0	

इस आदेश की प्रतियाँ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2. प्रश्नगत भूमि जो राजस्व अभिलेख में श्रेणी 6 (2) जो अकृषिक भू-स्थल, सड़कें, रेलवे भवन और ऐसी दूसरी भूमियाँ जो अकृषिक उपयोगों के काम में लायी जाती हों के अधीन "राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश" दर्ज है। उक्त भूमि को लोहिया पर्यावरणीय उद्यान/पार्क की स्थापना हेतु नि:शुल्क हस्तान्तरण कर उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखा जा रहा है। उक्त भूमि का उपयोग केवल लोहिया पर्यावरणीय उद्यान/पार्क की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा। उद्यान विभाग को उक्त भूमि की आवश्यकता न होने पर अतिशीघ्र राजस्व विभाग को वापस कर दिया जायेगा। प्रश्नगत भूमि को किसी व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।

-3-

shasnadesh.up.nic.in

3- जिलाधिकारी द्वारा शासनादेश संख्या-प्र0स0-474/एक-1/2008-5-1(48)/2008-78, दिनाँक 19-12-2008 में दिये गये निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन कराया जाय तथा निर्धारित प्रारूप पर यथा निर्देश हस्तान्तरण की सूचना भी उपलब्ध कराया जाये।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-272(2)/एक-1-2016-1(39)/2015, तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी ।
5. जिलाधिकारी, जौनपुर।
6. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in